राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सी –स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर–17

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / डीएलबी / 2017 / 19608 दिनांक : 16-11-2017

परिपत्र

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा सम्पर्क सीएम हैल्प लाइन की समीक्षा की जाकर समयबद्ध प्रकरणों का निस्तारण नही होने तथा काफी संख्या में लंबित पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए अविलंब कार्यवाही करते हुये प्रकरणों का निस्तारण हेतु निर्देशित किया है। इसी संबंध में दिनांक 16.11.2017 को सदस्य सचिव, सेन्टर फॉर गुड गर्वनेंस द्वारा बैठक आहुत कर विशेष अभियान चलाया जाकर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए समयबद्ध प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाने एवं स्तर 1 व 2 के अधिकारियों का स्थानांतरण होने पर तत्काल रि–मैपिंग कराने हेतु निर्देशित किया है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनाक 17.11.2017 से 30.11.2017 तक (कार्य दिवस में) 10 दिवसीय निम्नानुसार सीएम हैल्प लाइन 181 प्रकरण निस्तारण विशेष अभियान समस्त नगरीय निकाय स्तर पर चलाया जाकर संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) द्वारा इसकी दैनिक सतत मॉनिटरिंग की जावेगी तथा प्रतिदिन निस्तारित होने वाले प्रकरणों की सूचना संकलित कर दैनिक सूचना संभाग स्तर से विभाग को प्रेषित की जावें।

उक्त अभियान में संबंधित निकाय के आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी उप निदेशक ([illegible]ीय) के निर्देशन में निकाय के कार्मिकों की ड्यूटी लगाकर दैनिक प्रकरण का निस्तारण [illegible] संबंधित उप निदेशक (क्षैत्रीय) को सूचना देंगे। दिनांक 30.11.2017 तक लम्बित [illegible]स्त प्रकरणों का निस्तारण आवश्यक रूप से करते हुए शून्य होने की सूचना विभाग को संबंधित क्षैत्रीय उप निदेशक कार्यालय के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेंगे।

वर्तमान में रि–मैपिंग की जाकर स्तर 1 पर आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, स्तर 2 पर उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्तर 3 पर निदेशक एवं स्तर 4 पर प्रमुख शासन सचिव को रखा गया है। पूर्व के मैपिंग अधीनस्थ कार्मिक उनके स्तर पर लम्बित प्रकरणों का निस्तारण होने पर स्वतः ही मैपिंग से हट जायेंगे। नगर निगम, जयपुर को रि–मैपिंग कर स्तर 1 से 4 तक निगम स्तर पर ही रि–मैपिंग की गई हैं, तदानुसार अन्य शेष नगर निगमों को भी रि–मैपिंग करवाना सुनिश्चित करावें।

1. स्तर 1 व स्तर 2 पर प्रकरण का निस्तारण संबंधित द्वारा निर्धारित अवधि में किया जाना अनिवार्य हैं, केवल राज्य सरकार स्तर के प्रकरण ही अग्रेषित किये जावें।
2. डिमांड से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण स्तर 2 तक ही करना अनिवार्य है।
3. संपर्क की शिकायतों का निस्तारण, आवश्यक कार्यवाही, टिप्पणी, रि–मैपिंग के निर्देश की प्रति संलग्न है, जो संपर्क पोर्टल के सर्कुलर लिंक पर जाकर डाउनलोड की जा सकती है, जिसमें निस्तारण की प्रक्रिया भी समझाई गई है।

उक्त विशेष अभियान के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें। प्रभारी, मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ, निदेशालय दैनिक निस्तारित प्रकरणों की स्तर वार सूचना रिपोर्ट संकलित कर निदेशक एवं प्रमुख शासन सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ/डीएलबी/2017/19609-19849 दिनांक : 16/11/17
16-11-2017

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, सेन्टर फॉर गुड गवर्नेंस (सदस्य सचिव), एचसीएम रीपा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. नोडल अधिकारी, सीएम हैल्प लाईन, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव